कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–माध्य / छाप्रोप / अजा–अजजा–प्रविका / 2017–18 / दिनांक : 22/05/2017

विस्तृत दिशा–निर्देश

भारत सरकार द्वारा संचालित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रतिभा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्रवृति आवेदन पत्र वर्ष **2017–18** हेतु आमंत्रित किए जाते हैं :–

1. योजना का नाम अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रतिभा विकास कार्यक्रम

2. पात्रता :–

3. राज्य के राजकीय / निजी विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत रहते हुए सत्र 2016–17 में कक्षा 8 उत्तीर्ण अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति संवर्ग के छात्र जिन्होने परीक्षा में **"बी ग्रेड"** अर्जित की हो।
4. **"बी ग्रेड"** के पात्र छात्रों के आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में निर्धारित रिक्तियों पर प्रवेश न होने पर **"सी ग्रेड"** अर्जित करने वाले छात्रों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। निर्धारित रिक्तियों को शत प्रतिशत भरा जाना अपेक्षित है।
5. योजना के प्रावधानानुसार यदि प्रवेश स्तर कक्षा 9 के अतिरिक्त उच्च कक्षाओं में भी कतिपय कारणों से स्थान रिक्त है तो उन कक्षाओं में प्रवेश योग्य संबंधित संवर्ग के छात्रों द्वारा गत कक्षा में प्राप्तांकों की मेरिट की वरीयता अनुसार शत प्रतिशत रिक्तियों को भरा जाना अपेक्षित है।

3. देय सुविधा :– योजनान्तर्गत स्थाई चयनित आवासीय विद्यालय निम्नांकित है :–

4. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुमानपुरा कोटा
5. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तोपदड़ा, अजमेर
6. राजकीय गुरू गोविंदसिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर

इन विद्यालयों में चयनित विद्यार्थियों को छात्रावासी की हैसियत से प्रवेश दिया जाकर भारत सरकार के नियमों के अनुसार निःशुल्क शिक्षण / किताबें एवं भोजन के अतिरिक्त विषय विशेषज्ञ से कोचिंग सुविधा के साथ–साथ लाइब्रेरी व लेबोरेट्रीज की सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान की जाएंगी ।

4. छात्रवृतियों की संख्या :–

1. अनुसूचित जाति–40 छात्रवृतियां
2. अनुसूचित जनजाति–28 छात्रवृतियां

	आवासीय विद्यालय का नाम	निर्धारित रिक्तियों की संख्या		
		अनु.जाति	अनु.जनजाति	योग
1	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुमानपुरा कोटा	13	10	23
2	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तोपदड़ा, अजमेर	14	09	23
3	राजकीय गुरू गोविंदसिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर	13	09	22

3. आवासीय विद्यालयों में जिलेवार निर्धारित रिक्तियों की संख्या :–

1. राजकीय गुरू गोविंदसिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर

क्र.सं.	जिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	योग
1.	जोधपुर	02	01	03
2.	बाड़मेर	01	01	02
3.	पाली	02	01	03
4.	जैसलमैर	01	01	02
5	जालौर	01	01	02
6	सिरोही	01	01	02
7	उदयपुर	01	01	02
8	बांसवाड़ा	01	01	02
9	भीलवाड़ा	01	01	02
10	डूंगरपुर	01	01	02
11	राजसमन्द	01	00	01
	योग :–	**13**	**10**	**23**

2. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तोपदड़ा, अजमेर

12.	अजमेर	02	01	03
13.	जयपुर	01	01	02
14.	नागौर	02	01	03
15.	बीकानेर	01	01	02
16.	चूरू	01	01	02
17.	झुंझुनू	02	01	03
18.	सीकर	02	01	03
19.	श्रीगंगानगर	01	01	02
20.	हनुमानगढ	01	00	01
21.	दौसा	01	01	02
	योग	**14**	**09**	**23**

3. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुमानपुरा, कोटा

22.	कोटा	01	01	02
23.	बून्दी	01	01	02
24.	झालावाड़	01	01	02
25.	करौली	01	00	01
26.	सवाई माधोपुर	01	01	02
27.	चित्तौड़गढ	01	01	02
28	प्रतापगढ़	01	00	01
29	टौंक	01	01	02
30.	भरतपुर	01	01	02
31.	अलवर	02	01	03
32.	बारां	01	00	01
33.	धौलपुर	01	01	02
	योग	**13**	**09**	**22**

6. आवेदन हेतु शर्तें :–

1. राजस्थान राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों को ही आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा । इसके लिए मूल निवास प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा ।

2. आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु वे ही विद्यार्थी पात्र होगे जिन्होने राजस्थान सरकार के राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 8 उत्तीर्ण की हो।

3. विद्यार्थी के माता–पिता आयकरदाता नहीं होने चाहिये । इसके लिए माता–पिता की वार्षिक आय का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा ।

4. विद्यार्थी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति संवर्ग से हो प्रमाण स्वरूप उसे स्वयं का जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

5. आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत उत्तीर्ण छात्र अगली कक्षा में स्वतः ही प्रवेश के पात्र होंगे

6. छात्र अपने जिले के लिए निर्धारित आवासीय विद्यालय में ही प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेगा परन्तु इसके उपरान्त भी यदि विद्यालय में रिक्तियां रहती है तो निर्धारित जिलो से बाहर के विद्यार्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। शत प्रतिशत रिक्तियों पर प्रवेश दिया जाना अपेक्षित है।

7. आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) कार्यालय, उस जिले हेतु निर्धारित आवासीय विद्यालय अथवा विभागीय वेबसाईट (**www.education.rajasthan.gov.in/secondary**) से प्राप्त किये जा सकते है।

8. विद्यार्थी आवेदन पत्र जमा करवा कर पावती लेना नहीं भूलें।

9. **विद्यार्थी द्वारा भरे हुए आवेदन पत्र सीधे उसी आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य को व्यक्तिशः अथवा रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किये जाने है जिसमें विद्यार्थी प्रवेश चाहता है। आवेदन पत्र अंतिम दिनांक 15 जुलाई 2017 तक विद्यालय समय में जमा करवाने होगें। डाक से प्रेषित आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होने पर उसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी ।**

संलग्न – आवेदन पत्र

(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर।
3. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
4. **समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) को प्रेषित कर लेख है कि दिशा–निर्देशों के अनुरूप अधिकाधिक विद्यार्थियों के आवेदन पत्र आपके जिले से संबंधित आवासीय विद्यालय के लिए पूरित करावें।**
5. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) उदयपुर/अजमेर/कोटा निर्देशानुसार समयबद्ध कार्य करना सुनिश्चित करें। प्रवेश समिति बाबत नियमादि प्रतिवर्ष की भांति यथावत रहेंगे।
6. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोवर्धन विलास–उदयपुर/ मसूदा–अजमेर/कोटा
7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुरू गोविन्द सिंह, उदयपुर/ तोपदड़ा–अजमेर/गुमानपुरा–कोटा को प्रेषित कर लेख है कि प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 20 जुलाई 2017 तक निदेशालय को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–प्रथम के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें।
8. वरिष्ट सम्पादक, शिविरा पत्रिका कार्यालय हाजा।
9. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि संलग्न विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करे।

22/6/17

सहायक निदेशक

छात्रवृति अनुभाग

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

1. जिला ....

2. जाति ....

प्रतिभा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र
(शैक्षणिक सत्र 2017–18)

फोटो हस्ताक्षर सहित

प्रधानाचार्य,

आवासीय विद्यालय ....

जिला.............................. (राजस्थान)

1	विद्यार्थी का नाम	:	....
2	जन्म तिथि (अंकों में)	:	....
	(शब्दों में)	:	....
3	कक्षा जिस में प्रवेश लेना है	:	....
4	(अ) पिता / माता का नाम	:	पिता का नाम ....
		:	माता का नाम ....
	(ब) पिता / माता का व्यवसाय	:	व्यवसाय .... वार्षिक आय रू. ....
5	क्या माता / पिता आयकर दाता है (आय प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	:	हाँ / नहीं
6	स्थायी पता	:	....
7	स्थानीय अभिभावक का नाम एवं पता	:	....
8	छात्र की जाति	:	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
9	मूल निवास (मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न्न करें)	:	ग्राम .... तहसील .... जिला ....

10 आवासीय विद्यालय का नाम : ....

11 कक्षा एवं विद्यालय का नाम, जहाँ से छात्र ने कक्षा 8 उत्तीर्ण की है (अंक तालिका की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) : कक्षा–8
विद्यालय का नाम ....
जिला .... प्राप्त ग्रेड ....

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिया गया सम्पूर्ण विवरण सत्य है तथा मेरे पुत्र को प्रवेश मिलने पर मैं विद्यालय के सभी नियमों का पालन करूँगा/करूँगी । मैं यह भलिभांति समझता/समझती हूँ कि मेरे पुत्र का प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना ही विद्यालय के लिए प्रवेश देने की बाध्यता नहीं है। साथ ही यह भी घोषण करता हूं कि मैं आयकरदाता नहीं हूँ ।

छात्र के हस्ताक्षर **माता/पिता के हस्ताक्षर**

....

आवासीय विद्यालय के उपयोग हेतु

श्री .... (छात्र का नाम) पुत्र श्री .... की कक्षा 8 में अर्जित ग्रेड .... है तथा योग्यता सूची में इनका वरीयता क्रमांक .... है। अतः इन्हें प्रवेश समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।

प्रधानाचार्य
आवासीय विद्यालय
मय सील

....

पावती

छात्र .... पुत्र श्री .... ने अपना आवेदन–पत्र आज दिनांक .... को इस कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है।

प्रधानाचार्य
आवासीय विद्यालय
मय सील